सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 14.11.2026

➢ **अवैध खनिज परिवहन से अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले गैंग पर सोनभद्र पुलिस का बड़ा प्रहार: गैंगस्टर एक्ट के तहत 03 अभियुक्तों की ₹4.18 करोड़ की चल-अचल संपत्ति कुर्क, 02 ट्रक भी जब्त।**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों तथा संगठित अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) **सुश्री मेविस टॉक** एवं क्षेत्राधिकारी नगर **श्री रणधीर मिश्रा** के पर्यवेक्षण में थाना चोपन पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गिट्टी एवं बालू जैसी खनिज सम्पदा के परिवहन से अर्जित धनराशि से क्रय की गई **03 अभियुक्तों की कुल ₹4,18,00,000/- (चार करोड़ अठारह लाख रुपये) की चल-अचल संपत्ति आज दिनांक 14.11.2026 को कुर्क की गई।**

कार्रवाई का विवरण:-

थाना चोपन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 551/2026 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से संबंधित अभियुक्तगण 1. आरिफ खान पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम परही, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र, 2. अखिलेश उर्फ धीरज केशरी पुत्र संजय केशरी निवासी वैनी, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र, हाल पता इन्द्रपुरी कॉलोनी, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र एवं 3. छोटू यादव उर्फ अमिनेष यादव पुत्र संकठा प्रसाद यादव निवासी मारकुण्डी (भुइहरिया बंधा), थाना चोपन, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी।

उक्त अभियुक्तगण द्वारा बिना वैध परमिट के गिट्टी एवं बालू जैसी खनिज सम्पदा का अवैध परिवहन कर आपराधिक गतिविधियों से अवैध धन अर्जित किया गया तथा उक्त धनराशि से अपने एवं परिजनों के नाम पर विभिन्न ग्रामों में चल-अचल संपत्तियां क्रय की गई थीं। पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्की की कार्रवाई हेतु संबंधित रिपोर्ट प्रेषित की गई थी।

इसी क्रम में मा0 जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पारित कुर्की आदेशों के अनुपालन में आज दिनांक 14.11.2026 को तीनों अभियुक्तों की कुल वर्तमान कीमत ₹4,18,00,000/- की चल-अचल संपत्ति कुर्क की गई।

कुर्क की गई संपत्ति का अभियुक्तवार विवरण:-

1. अभियुक्त आरिफ खान पुत्र निजामुद्दीन की संपत्ति (कुल वर्तमान कीमत ₹1,43,00,000/-):

अभियुक्त आरिफ खान द्वारा अवैध गतिविधियों से अर्जित धनराशि से क्रय की गई नगर पालिका उरमौरा स्थित आवासीय भूखंड संपत्ति संख्या 540, रकबा 276.022 वर्ग मीटर (0.0276 हेक्टेयर) एवं संपत्ति संख्या 540 में रकबा 32.10 वर्ग मीटर (0.0032 हेक्टेयर) तथा 02 अदद ट्रक क्रमशः वाहन संख्या UP64CT5215 एवं UP64CT9049 को मा0 जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र के आदेश दिनांक 09.10.2026 एवं 04.11.2026 के अनुपालन में धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया।

आपराधिक इतिहास:-

1. **मु0अ0सं0 0676/2024,** धारा 3(1), 58, 72(6) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021, धारा 21/4 खान एवं खनिज अधिनियम, धारा 221, 303(2), 317(2), 61(2) बीएनएस एवं धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984, थाना रॉबर्ट्सगंज।
2. **मु0अ0सं0 0944/2025,** धारा 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1932 एवं धारा 109(1), 121(1), 191(2), 324(4), 351(3), 352, 61(2)(a) बीएनएस, थाना रॉबर्ट्सगंज।
3. **मु0अ0सं0 0043/2026,** धारा 3(1), 58, 72(6) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021, धारा 21/4 खान एवं खनिज अधिनियम, धारा 109(1), 121(1), 303(2), 317(2), 61(2)(a) बीएनएस एवं धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984, थाना रॉबर्ट्सगंज।
4. **मु0अ0सं0 0551/2026,** धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना रॉबर्ट्सगंज।

2. अभियुक्त अखिलेश उर्फ धीरज केशरी पुत्र संजय केशरी की संपत्ति (कुल वर्तमान कीमत ₹1,25,00,000/-):

अभियुक्त अखिलेश उर्फ धीरज केशरी द्वारा अवैध गतिविधियों से अर्जित धनराशि से अपने परिजनों के नाम पर विभिन्न ग्रामों में क्रय की गई निम्नलिखित अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया:-

माता श्रीमती कुसुम देवी के नाम दर्ज संपत्तियां:

1. ग्राम देवरी, परगना विजयगढ़, तहसील रॉबर्ट्सगंज में भूखंड आराजी संख्या 209मी, रकबा 0.0127 हेक्टेयर।
2. ग्राम अवई, परगना अगोरी, तहसील रॉबर्ट्सगंज में संपत्ति संख्या 39क मि0, 39ख, 40 मि0 एवं 38क (कुल 04 गाटा), रकबा 0.2550 हेक्टेयर तथा संपत्ति संख्या 30क एवं 31 में 253 वर्ग मीटर (लगभग 02 बिस्वा) आवासीय भूखंड।
3. ग्राम खड़हारी, परगना विजयगढ़, तहसील रॉबर्ट्सगंज में संपत्ति संख्या 61अ, रकबा 0.8285 हेक्टेयर।
4. ग्राम नन्दना, परगना विजयगढ़, तहसील रॉबर्ट्सगंज में संपत्ति संख्या 39, 40, 94 एवं 1388 में कुल रकबा 0.32375 हेक्टेयर।
5. ग्राम उरमौरा, परगना बड़हर, तहसील रॉबर्ट्सगंज में भूखंड आराजी संख्या 079, रकबा 0.01265 हेक्टेयर (126.5 वर्ग मीटर)।

पिता श्री संजय केशरी के नाम दर्ज संपत्तियां:

1. ग्राम अवई, परगना अगोरी, तहसील रॉबर्ट्सगंज में आराजी संख्या 31 एवं 30क, रकबा 253.71 वर्ग मीटर का आवासीय भूखंड।
2. ग्राम अवई में आराजी संख्या 30क, 30ख, 36क, 36ख एवं 39क (कुल 05 गाटा), रकबा 0.5190 हेक्टेयर।
3. ग्राम खड़हारी में आराजी संख्या 065, रकबा 0.277 हेक्टेयर।

उक्त संपत्तियों को मा0 जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया गया।

आपराधिक इतिहास:-

1. **मु0अ0सं0 0944/2025,** धारा 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1932 व धारा 109(1), 121(1), 191(2), 324(4), 351(3), 352, 61(2)(a) बीएनएस, थाना रॉबर्ट्सगंज।
2. **मु0अ0सं0 0551/2026,** धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना रॉबर्ट्सगंज।

3. अभियुक्त छोटू यादव उर्फ अमिनेष यादव पुत्र संकठा प्रसाद यादव की संपत्ति(कुल वर्तमान कीमत ₹1,50,00,000/-):

अभियुक्त छोटू यादव उर्फ अमिनेष यादव द्वारा अवैध गतिविधियों से अर्जित धनराशि से अपने माता-पिता के नाम पर ग्राम बेलकप, परगना अगोरी, तहसील रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र में क्रय की गई निम्नलिखित अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया:-

माता श्रीमती हंसा देवी के नाम दर्ज संपत्तियां:

1. आराजी संख्या 350/1 एवं 353।
2. आराजी संख्या 503।
3. आराजी संख्या 502।

पिता श्री संकठा प्रसाद यादव के नाम दर्ज संपत्तियां:

1. आराजी संख्या 355, 356 एवं 357।
2. आराजी संख्या 348/3 एवं 355।
3. आराजी संख्या 348/3।
4. आराजी संख्या 348/3 एवं 355।
5. आराजी संख्या 490 एवं 491।
6. आराजी संख्या 488।

उक्त संपत्तियों को मा0 जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा पारित आदेश वाद संख्या D202616660002323 के अनुपालन में कुर्क किया गया।

आपराधिक इतिहास:-

3. **मु0अ0सं0 0944/2025,** धारा 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1932 व धारा 109(1), 121(1), 191(2), 324(4), 351(3), 352, 61(2)(a) बीएनएस, थाना रॉबर्ट्सगंज।
4. **मु0अ0सं0 0551/2026,** धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना रॉबर्ट्सगंज।

कुल कुर्क संपत्ति का विवरण:-

1. अभियुक्त आरिफ खान की संपत्ति- ₹1,43,00,000/-
2. अभियुक्त अखिलेश उर्फ धीरज केशरी की संपत्ति- ₹1,25,00,000/-
3. अभियुक्त छोटू यादव उर्फ अमिनेष यादव की संपत्ति- ₹1,50,00,000/-

कुल वर्तमान कीमत- ₹4,18,00,000/- (चार करोड़ अठारह लाख रुपये)।

इस प्रकार सोनभद्र पुलिस द्वारा संगठित अपराध एवं अवैध खनिज परिवहन से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए मा0 जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र के आदेश के अनुपालन में तीनों अभियुक्तों की कुल ₹4.18 करोड़ की चल-अचल संपत्ति कुर्क की गई। जनपद में संगठित अपराध एवं अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी है।

कुर्की की कार्रवाई करने वाली टीम:-

1. श्री रणधीर कुमार मिश्रा, क्षेत्राधिकारी नगर, सोनभद्र।
2. श्री अमित कुमार, तहसीलदार रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
3. श्री गोपाल जी गुप्ता, प्रभारी निरीक्षक थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।
4. श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
5. श्री राजेश यादव, निरीक्षक अपराध थाना चोपन, जनपद सोनभद्र। 6. थानाध्यक्ष महिला थाना, जनपद सोनभद्र।